वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 16.10.2024

पटरी-ठेला व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी

सिगरा स्थित नगर निगम में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यावसायिक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते पटरी व्यावसायिक • जागरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पुलिस उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने मंगलवार को नगर निगम के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में बड़ी संख्या जुटे फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए। इस बीच फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मिलकर उन्हें 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

इसमें कहा कि प्रो-पुअर विकास परियोजना के तहत सारनाथ में 286 स्ट्रीट वेंडर के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए माडल वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। दूसरी ओर शहर में निर्धारित वेंडिंग जोन में जीविकोपार्जन करने वाले फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को नगर निगम व पुलिस प्रशासन बलपूर्वक हटा रही है। पत्रक में दीपावली व छठ पूजा तक कोई कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया है।

वहीं आठ नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की गई है। पत्रक सौंपने वालों में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिन्हा, अनिल कुमार, गौरव प्रकाश, मालती गोस्वामी, रंजना गौड़, अस्पताली सोनकर, नूर मोहम्मद, नखड्डू सोनकर, अनमोल निगम, रवि गुप्ता, रितेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल थे।

आज–दि0 16.10.2024

भेलूपुरमें निर्माणाधीन भवन हुआ सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्गके निर्देशपर मंगलवारको अभियन्ताओंकी टीमने भेलूपुर वार्डमें एक भवनके विरुद्ध सीलिंगकी कारवाई की। जानकारीके अनुसार कुलदीप पाण्डेय नामक भवन स्वामीने अस्सीघाटपर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग २४ सौ वर्ग फिटमें निर्माण कार्य कर रहा था। शिकायतके आधारपर मौकेपर पहुंचे अवर अभियन्ताने भवन स्वामीसे विप्राकी अनुमति पत्र मांगी, जिसे दिखानेमें वह असमर्थ रहा। अधिकारियोंके निर्देशपर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय सुपरवाइजर, भेलूपुर थानाकी पुलिस मौकेपर पहुंच कर निर्माणाधीन भवनको सील कर दिया। जोनल अधिकारीके निर्देशपर अवर अभियन्ताने थानेकी अभिरक्षामें निर्माणाधीन भवनको सौंप दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 16.10.2024

प्रो-पुअर प्रोजेक्ट से बढ़ेगा रोजगार

- विश्व बैंक की मदद से हुए काम से बढ़ेंगे पर्यटक
- 90 करोड़ रुपये खर्च कर कराया गया है काम

वाराणसी, हिटी। वीडीए, उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि सारनाथ में प्रो-पुअर टूरिज्म से हुए पुनर्विकास से पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्व बैंक की मदद से लगभग 90 करोड़ से प्रो-पुअर प्रोजेक्ट का कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री 20 अक्तूबर के आगामी दौरे पर इसका उद्घाटन भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि सारनाथ के आसपास रहने वालों की आय बढ़े और उन्हें अवसर मिले। सारनाथ और उसके आसपास के चौराहों और तिराहों का सुंदरीकरण किया गया है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत 29 स्मारकों को आपस में जोड़ने और जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है। धर्मपाल मार्ग का सुंदरीकरण, स्ट्रीट लाइटिंग की गई है। ऋषिपत्तन एवं अशोक मार्ग पर हेरिटेज लाइट, फसाड लाइट, पार्किंग, ठेले-खोमचे वालों का पुनर्वास हो जा रहा है।

यहां हेरिटेज लुक वाले कियोस्क होंगे, जिसमें बनारस समेत, किसी देश विशेष के खानपान की सुविधा होगी। सोविनियर, जीआई उत्पाद, ओडीओपी आदि की दुकानें भी होंगी। पैडेस्ट्रियल पथ, पर्यटकों को बैठने के लिए आरामदायक जगह बनाई गई है। सीसीटीवी, दिव्यांगजनों एवं वृद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था, बिजली तारों को भूमिगत किया गया है। योजना में स्थानीय लोगों के व्यापार का खास ध्यान रखा गया है। जीविकोपार्जन के लिए 2811 कामगारों को प्रशिक्षण, उनके काम सम्बंधित 303 कामगारों को टूल किट दिया गया है। नए कामगारों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। स्थानीय वेंडरों को अतिथियों के स्वागत के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

हिन्दुस्तान–दि0 16.10.2024

वीडीए ने अस्सी पर अवैध निर्माण रोका, भवन सील

- बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन स्वामी कर रहा था निर्माण
- भेलूपुर थाने की पुलिस को निगरानी के लिए सौंपी जिम्मेदारी

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए की ओर से अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अफसरों ने मंगलवार को भी बड़ी कार्रवाई की। अस्सी घाट पर मानचित्र स्वीकृत कराए बिना करीब 24सौ वर्ग फीट में निर्मित भवन सील कर दिया। वहीं, इसकी निगरानी के लिए भेलूपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है।

जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली की अस्सी घाट के समीप 2400 वर्गफीट क्षेत्रफल में अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। भूतल पर पिलर का कार्य पूरा हो चुका है। शटरिंग का काम चल रहा था। इस पर प्रवर्तन टीम के साथ छापेमारी की गई। जमीन मालिक से स्वीकृत मानचित्र की मांग की गई लेकिन वह उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर परिसर सील किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 16.10.2024

वीडीए ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। भेलूपुर के अन्तर्गत कुलदीप पाण्डेय , अस्सी घाट, वार्ड-

भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित भवन को पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 व 28 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्माण कर भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया । जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे ।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 16.10.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गई।इसके तहत 15 अक्टूबर को वार्ड- भेलूपुर के अन्तर्गत कुलदीप पाण्डेय , अस्सी घाट, वार्ड- भेलूपुर, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित भवन को पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्माण कर भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।